BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 29 अक्टूबर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 03 आरोपियो को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 51,500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 01.नरेश पुत्र रतनपाल 02. राकेश पुत्र रतनपाल 03.प्रेम पुत्र बाबूराम निवासीगण ग्राम सिरौरा बांगर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में सूरज पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम सिरौरा बांगर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के पुत्र के साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 10.04.2013 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 105/13 धारा 323/326/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.07.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 29.10.2024 को न्यायाधीश श्री विनय कुमार (मा0 न्यायालय एसीजेएम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण नरेश, राकेश व प्रेम उपरोक्त को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 51,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सूरज कुमार यादव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर